राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विभाग

क्रमांक : एफ2(21)एससीएसपी/स्वच्छकार/एमएसएक्ट 2013/सान्याअवि/2016-17/11479 जयपुर, दिनाक 14-02-2017

अधिसूचना

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 25) की धारा 20(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नानुसार निरीक्षक घोषित किया जाता है :

समस्त शहरी क्षेत्रों के लिये —सम्बन्धित नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये —सम्बन्धित ग्राम पंचायतो के ग्राम सेवक

उक्त निरीक्षक अपने अधिकारिता की सीमाओं में सभी युक्तियुक्त समयों पर एम.एस.एक्ट 2013 की धारा 20(2) के उपबंधो में वर्णित प्रयोजनों के लिये किसी परिसर या स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा। निरीक्षकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में शौचालय निर्माण, रखरखाव, उपयोग व मैन्युअल स्कवेंजर्स का नियोजन संबंधित एम.एस.एक्ट 2013 के अधीन अपराधों की निगरानी रखी जावेंगी तथा उक्त अपराधों की जानकारी होने पर उनका निरीक्षण/अन्वेक्षण कर उसकी सूचना एम.एस.एक्ट 2013 के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर (अध्यक्ष जिला स्तरीय सर्तकता समिति) को समुचित कार्यवाही हेतु दी जावेगी।

आज्ञा से,

(रवि जैन)

विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ2(21)एससीएसपी/स्वच्छकार/एमएसएक्ट 2013/सान्याअवि/2016-17/11480-592 जयपुर दिनांक 14-02-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पालिकाओं को भिजवाने बाबत्।
12. समस्त जिला कलक्टर.......................................को अतिरिक्त प्रतिलिपि समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को भिजवाने बाबत्।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त...।
14. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
15. एसीपी, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल द्वारा भिजवाने बाबत्।
16. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षण एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त..।

विशिष्ट शासन सचिव

E:\mohan lal bairwa\hindi letters.docx